



## वशिव प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021

### चर्चा में क्यों?

प्रत्येक वर्ष वशिव भर में 3 मई को 'वशिव प्रेस स्वतंत्रता दिवस' (WPFD) मनाया जाता है।

- यह दिवस 'संयुक्त राष्ट्र शैक्षकी, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन' (UNESCO) द्वारा आयोजित किया जाता है।
- इस वर्ष वशिव प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम 'इनफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड' है।

### प्रमुख बाढ़ि

#### पृष्ठभूमि:

- वर्ष 1991 में [यूनेस्को](#) की जनरल कॉन्फरेंस की सफिरशि के बाद वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वशिव प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी।
- यह दिवस वर्ष 1991 में यूनेस्को द्वारा अपनाई गई 'विडिहोक' (Windhoek) घोषणा को भी चाहिनति करता है।
  - वर्ष 1991 की 'विडिहोक घोषणा' एक मुक्त, स्वतंत्र और बहुलवादी प्रेस के विकास से संबंधित है।

#### WPFD 2021 की तीन प्रमुख विशेषताएँ:

- समाचार मीडिया की आरथिक वयवहार्यता सुनिश्चिति करने पर केंद्रित कदम।
- इंटरनेट कंपनियों की पारदर्शता सुनिश्चिति करने के लिये तंत्र।
- संवर्द्धित मीडिया और सूचना साक्षरता (MIL) क्षमताएँ जो लोगों को पहचानने और मूल्यवरदधन में सक्षम बनाने के साथ-साथ पत्रकारता को सार्वजनिक हति के रूप में महत्वपूर्ण बनाती हैं।

#### वशिव प्रेस सम्मलेन 2021:

- वर्ष 2021 के वैश्वकि सम्मलेन की मेजबानी यूनेस्को और नामीबिया सरकार द्वारा की गई थी।
- COVID-19 महामारी के कारण यह सम्मलेन दुनिया भर में स्थानीय समाचार मीडिया द्वारा जोखमि संभाविति मुद्दों की ओर तत्काल ध्यान आकर्षित करेगा।
- इस आयोजन में उन उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जो हमारे ऑनलाइन मीडिया प्रयोगण की चुनौतियों से नपिटने, इंटरनेट कंपनियों की पारदर्शता बढ़ाने के लिये, पत्रकारों की सुरक्षा को मजबूत करने और उनकी कार्य स्थितियों में सुधार करने हेतु की जा रही है।

### भारत में प्रेस की स्वतंत्रता

- प्रेस की स्वतंत्रता को भारतीय कानूनी प्रणाली द्वारा सपष्ट रूप से संरक्षित नहीं किया गया है, लेकिन यह संवधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) के तहत संरक्षित है, जिसमें कहा गया है - "सभी नागरिकों को वाक् एवं अभियक्तिकी स्वतंत्रता का अधिकार होगा"।
- वर्ष 1950 में रोमेश थापर बनाम मदरास राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नीव प्रेस की स्वतंत्रता पर आधारित होती है।
- हालाँकि प्रेस की स्वतंत्रता भी असीमित नहीं होती है। कानून इस अधिकार के प्रयोग पर केवल उन प्रतिबिधों को लागू कर सकता है, जो अनुच्छेद 19 (2) के तहत इस प्रकार हैं-
  - भारत की संपर्भुता और अखंडता से संबंधित मामले, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूरण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या न्यायालय की अवमानना के संबंध में मानवानिया अपराध को प्रोत्साहन।
- संबंधित रैंकिंग / परिणाम:
  - हाल ही में जारी 180 देशों के 'वशिव प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक' (World Press Freedom Index) 2021 में भारत 142वें स्थान पर है। यह 'रपीटरस सेन्स फ्रंटियर्स' (RSF) या 'रपीटरस विडियो बॉर्डर्स' द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है।
  - फ्रीडम इन द वरलड 2021 (अमेरिका की 'फ्रीडम हाउस'), मानवाधिकार रपीटर 2020 (अमेरिकी राज्य

वभाग), [ऑटोक्रेटाइज़ेशन गोज़ वायरल](#) (स्वीडन के वैरायटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी) जैसी सभी रपिरेटों में भारत में पत्रकारों को डराने-धमकाने पर प्रकाश डाला गया है।

## स्रोत: डाउन टू अरथ

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/world-press-freedom-day-2021>